



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2830]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937

No. 2830]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3551(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में 13° 54' से 14° k' उत्तर अक्षांश और 74° 38' से 75° 00' पूर्व देशांतर के बीच है और इसे सरकारी आदेश संख्या एएफडी70/एफडब्ल्यूएल71 तारीख 20.04.1972 और एएफडी/12/ एफडब्ल्यूएल74 तारीख 27.06.1974 द्वारा अधिसूचित किया गया था, यह 431.23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नजदीकतम रेलवे स्टेशन तालागुप्पा है, जो अभयारण्य से 15 किलोमीटर दूर है ;

और, शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य शिमोगा जिले के सगारा तालुक के भागों में फैला हुआ है और यह क्षेत्र पर्णपाति अर्ध हरित शोला वनों और पश्चिमी घाट की सयाद्री सदैव हरित वनों द्वारा आच्छादित है, जो वन ट्रैक का शानदार सुंदर और मूल्यवान भाग है । गंभीर बायोटिक दबाव के बावजूद अभयारण्य के भाग अपनी प्राचीन, सघन

और विभिन्नता पूर्ण वनस्पति को बनाए रखने में समर्थ रहे हैं। इसलिए यह पूर्ण रूप से अनिवार्य है कि विद्यमान संसाधनों को न केवल प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाए किंतु संसाधनों में और सुधार लाने के लिए समुचित कदम भी उठाए जाएं;

और, अभयारण्य वनस्पति और प्राणी दोनों में अत्यधिक समृद्ध है। इन वनों में मूल्यवान वृक्ष प्रजातियां हैं, जिसमें सांगवान, चंदन, रोजवुड, हनी, नन्दी आदि हैं और यह जंगली भैंसा, चित्तीदार हिरण, सांभर, बाघ और तेन्दुएं को आश्रय देता है। यह क्षेत्र सरीसृपों और पक्षीवृंद जनसंख्या में भी बहुत समृद्ध है। पहाड़ी क्षेत्र शरावती नदी के बेसिन के लिए जलग्रह क्षेत्र का निर्माण करता है। यह क्षेत्र अनेक कुशेरुकु और अकुशेरुकु के लिए आश्रय स्थल का भी कार्य करता है। इस अभयारण्य में अनेक जड़ी-बूटियां, झाड़ियां, फर्न और घास हैं ;

और अभयारण्य के भीतर विद्यमान सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं और इनका उपयोग गस्त के लिए किया जाता है। अधिकांश विद्यमान सड़कें एक बस्ती से दूसरी बस्ती को जोड़ती हैं। अभयारण्य के भीतर विद्यमान सड़कों का उपयोग साधारण जनता के साथ विभाग द्वारा भी किया जाता है।

और, शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तर अक्षांश 13° 53' 40" से पूर्व देशांतर 74° 46' 21.581" और पूर्वी अक्षांश 74° 34' 50" से 75° 00' 15" के बीच है और यह 189.60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका विस्तार शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 10 किलोमीटर तक है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** पर दिया गया है।

(2) अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 80 ग्रामों की सूची उनके अक्षांशों और देशान्तरों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध की गई है।

(3) अक्षांश और देशान्तर तथा मुख्य बिन्दुओं सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पर अभयारण्य पर मुख्य अवस्थानों (जीपीएस बिंदुओं) को **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी अर्थात् :-वन ;

- (i) वन
- (ii) शहरी विकास ;
- (iii) पर्यटन ;
- (iv) नगरपालिक ;
- (v) राजस्व ;
- (vi) कृषि ;
- (vii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (viii) सिंचाई ; और
- (ix) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 12, 18, 24, 29 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** : आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** : (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के लिए सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसार्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्साव का निस्सारण** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्साव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** : ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** : पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** : परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** :

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाय विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्साव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध

		नहीं कर दिया जाता है ।
(10)	मछली पकड़ना ।	सभी जल निकायों में मछली पकड़ने पर पूर्ण रोक होगी ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(11)	प्लास्टिक कैंरी बैग, का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए । तथापि, 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा : परंतु एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और संनिर्माण कार्यकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के

		संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(क) भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन की अंदर बिजली के खंभों को आंचलिक महायोजना के अनुसार या मोनिट्रिंग समिति की अनुशंसा से स्थापित किया जाएगा।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव/ठोस अपशिष्ट का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्साव की रिसाइकिलिंग प्रोत्साहित की जाएगी और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट का निपटान करने के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
(25)	वन उत्पाद और गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति : (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- i. प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष ;
- ii. माननीय सदस्य, विधान सभा, होसानगर* निर्वाचन क्षेत्र, शिमोगा जिला - सदस्य ;
- iii. माननीय सदस्य, विधान सभा, तिरुहल्ली* निर्वाचन क्षेत्र, शिमोगा जिला - सदस्य ;
- iv. माननीय सदस्य, विधान सभा, सागर* निर्वाचन क्षेत्र, शिमोगा जिला - सदस्य ;
- v. पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- vi. शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- vii. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- viii. प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- ix. कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ - सदस्य ;
- x. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, शिमोगा - सदस्य ;
- xi. उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, शिमोगा - सदस्य-सचिव ।

* (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त के अधीन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष की अनुज्ञा भी है, के अधीन रहते हुए, यदि अपेक्षित हो तो)

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/138/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर : नार्थ कनारा जिले के उत्तर पश्चिमी किनारे से प्रारंभ होकर, इसकी दिशा कोप्पा ग्राम की उत्तरी सीमा से लगकर पूरब दिशा में कंधोदी ग्राम की सीमा से मिलती है । इसके बाद यह कन्दोदी ग्राम की पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा के साथ लगती हुई बढ़ती है और इदीगिरि ग्राम की सीमा से मिलती है । फिर यह रेखा हदीगिरि की उत्तरी सीमा एन. तलाकलाले की पश्चिमी सीमा से लगकर चलते हुए शेरावती नदी से मिलती है । इसके बाद यह तलाकलाले ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ चलते हुए अट्टीगोडू राज्य वन की उत्तरी सीमा से मिलती है । तब यह रेखा अट्टीगोडू राज्य वन की उत्तरी तथा पश्चिमी दिशा में बहते हुए तलाकलाले जलाशय निमज्जन सीमा की दक्षिणी दिशा से मिलती है । इसके बाद यह रेखा निमज्जन के साथ बहते हुए बिदारूर रोड से मिलती है । फिर यह रेखा बिदारूर और करगाल रोड के साथ चलते हुए लिंगामक्की जलाशय बांध से मिलती है। तब यह शेरावती नदी तथा इन्दवानी की पूर्वी सीमा एवं कन्टोटा ग्राम के साथ चलते हुए कन्टोटा ग्राम के उत्तर पश्चिमी किनारे से मिलती है । फिर यह रेखा कन्टोटा की उत्तरी सीमा, हरावल्ली, होनीमारडू की उत्तरी सीमा के साथ चलते हुए बेलिन्ने ग्राम की सीमा से मिलती है । इसके बाद यह बेलिन्ने ग्राम की पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा से चलते हुए बेलिन्ने ग्राम के उत्तर पूर्वी सिरे से मिलती है ।

पूरब: इसकी दिशा बेलिन्ने ग्राम की पूर्वी सीमा से चलती है और बेल्लिगिरि की उत्तरी सीमा से मिलती है । तब यह बेल्लिगिरि, निटल हालीटोटा, मदारावल्ली, केशुवीनमाने, हलकोड, बेंकटवल्ली ग्राम की उत्तरी सीमा से चलती है और बेंकटवल्ली ग्राम के पूर्वी किनारे से मिलती है । फिर यह रेखा बेंकटवल्ली, नदावादहल्ली के पूर्वी सिरे के साथ चलकर शेरावती निमज्जन सीमा से मिलती है । यह रेखा निमज्जन के साथ दक्षिणी दिशा में चलती है और चिकमाथुर ग्राम की सीमा से मिलती है । तब यह रेखा चिकमाथुर ग्राम, हुनलमादिके ग्राम उत्तरी और पूर्वी सीमा तथा मट्टीकोप्पा एवं बेसुर ग्राम पूर्वी सीमा के साथ चलते हुए बेसुर ग्राम के दक्षिण-पूर्वी किनारे से मिलती है ।

दक्षिण: इसकी दिशा बेसुर और अम्बारागोडलू ग्राम की दक्षिणी सीमा से गुजरकर ओल्ड बटकल रोड से मिलती है । फिर इसकी दिशा दक्षिण की ओर होती है और निमज्जन सीमा से मिलती है। फिर यह रेखा दक्षिण-पश्चिमी दिशा में शेरावती निमज्जन क्षेत्र से होकर गुजरती है और केरीवेस ग्राम निमज्जन सीमा से मिलती है। इसके बाद यह निमज्जन के साथ चलते हुए करूर ग्राम की पूर्वी सीमा से मिलती है । इसके बाद यह करूर तथा बी. केप्पीगे की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा के साथ चलते हुए बी. केप्पीगे ग्राम के दक्षिण-पश्चिमी किनारे से मिलती है। इसके बाद यह बी. केप्पीगे तथा अराहल्ली ग्राम की पश्चिमी दिशा में चलती है और अराहल्ली ग्राम के उत्तर-पश्चिमी किनारे से मिलती है । फिर यह रेखा तुमरी तथा वलागिरि रोड के साथ चलकर बलागिरि ग्राम की दक्षिणी सीमा से मिलती है । तब यह रेखा बलागिरि, कल्लूर और चन्नागोंडा ग्राम की दक्षिणी सीमा के

साथ चलकर कट्टीनकारु ग्राम सीमा से मिलती है। इसके बाद यह रेखा कट्टीनकारु ग्राम के साथ पूर्वी दिशा में चलते हुए कोदानावल्ली ग्राम की उत्तरी सीमा से मिलती है। इसके बाद यह कोदानावल्ली की उत्तरी तथा पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और साऊथ कनारा जिले की सीमा से मिलती है। एक बार फिर यह पश्चिमी दिशा में साऊथ कनारा जिले की सीमा के साथ चलती है और करानी ग्राम के दिक्षिण-पश्चिमी किनारे से मिलती है।

पश्चिम: इसकी दिशा साऊथ कनारा तथा शिमोगा जिले की साझा सीमा से लगकर उत्तर-पश्चिमी दिशा में होती है और कुलावादी ग्राम (नार्थ कनारा जिला) की सीमा से मिलती है। तब इसकी रेखा कोलावादी, वोनीबगीलू की दक्षिणी सीमा के साथ चलती है और वोनीबगीलू के दक्षिणी-पश्चिमी किनारे से मिलती है। तब दिशा वोनीबगीलू, होलूयानी, कोदालमक्की, हसारावल्ली, अग्गा ग्राम की पश्चिमी सीमा से लगकर चलती है और कोप्पा ग्राम की उत्तरी सीमा से मिलती है। तब यह रेखा कोप्पा ग्राम की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा से लगकर चलती है और शुरुआती बिन्दु पर मिलती है।

उपाबंध II

शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर आने वाले ग्रामों की जीपीएस रीडिंग की सूची


क्र.सं.	तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल हे में .	दशमलव डिग्री में अक्षांश	दशमलव डिग्री में देशांतर	अभ्युक्ति
1	सागरा	हेब्लिलू	202.00	14.175	74.859	संपूर्ण क्षेत्र
2	सागरा	लिंगानमक्की	343.00	14.178	74.178	संपूर्ण क्षेत्र
3	सागरा	करूमने	614.68	14.164	74.831	संपूर्ण क्षेत्र
4	सागरा	बिदरपुर	358.52	14.168	74.809	संपूर्ण क्षेत्र
5	सागरा	अरालगोदू	401.30	14.143	74.828	संपूर्ण क्षेत्र
6	सागरा	बनूमने	626.11	14.147	74.85	संपूर्ण क्षेत्र
7	सागरा	नद्रावरा इलाकलाले	503.31	14.184	74.785	संपूर्ण क्षेत्र
8	सागरा	एन. तलाकलाले	98.00	14.169	74.751	संपूर्ण क्षेत्र
9	सागरा	मंदावल्ली	803.79	14.143	74.811	संपूर्ण क्षेत्र
10	सागरा	ब्रह्मानवादा इलाकलाले	351.33	14.163	74.784	संपूर्ण क्षेत्र
11	सागरा	केरावदी	150.00	14.077	74.945	संपूर्ण क्षेत्र
12	सागरा	अंब्रागोदलू	413.16	14.069	74.945	संपूर्ण क्षेत्र
13	सागरा	हीरेबसकारा	200.00	14.078	74.91	संपूर्ण क्षेत्र
14	सागरा	सुलागलाले	909.28	14.119	74.894	संपूर्ण क्षेत्र
15	सागरा	हनागिरि	200.00	14.123	74.859	संपूर्ण क्षेत्र
16	सागरा	नागावल्ली	410.00	14.097	74.064	संपूर्ण क्षेत्र
17	सागरा	हवाशी	120.00	14.087	74.928	संपूर्ण क्षेत्र
18	सागरा	गुडीहिथालू	150.10	14.055	74.716	संपूर्ण क्षेत्र
19	सागरा	नेलाहारी	232.48	14.093	74.706	संपूर्ण क्षेत्र
20	सागरा	भानकुली	482.30	14.091	74.748	संपूर्ण क्षेत्र

क्र .सं.	तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल हे में .	दशमलव डिग्री में अक्षांश	दशमलव डिग्री में देशांतर	अभ्युक्ति
21	सागरा	कनापागारू	1279.40	14.123	74.339	संपूर्ण क्षेत्र
22	सागरा	कट्टीनकारू	3226.98	13.971	74.713	संपूर्ण क्षेत्र
23	सागरा	उरालगल्लू	264.16	14.145	74.659	संपूर्ण क्षेत्र
24	सागरा	करानी	1300.00	13.931	74.735	संपूर्ण क्षेत्र
25	सागरा	हुनालमाडिके	57.42	14.088	74.985	संपूर्ण क्षेत्र
26	सागरा	चिक्कामत्तूर	1007.12	14.091	74.963	संपूर्ण क्षेत्र
27	सागरा	मथीकोप्पा	260.82	14.069	74.976	संपूर्ण क्षेत्र
28	सागरा	बेसुर	488.26	14.042	74.978	संपूर्ण क्षेत्र
29	सागरा	नदावददल्ली	544.17	14.11	74.967	संपूर्ण क्षेत्र
30	सागरा	बैंकटावल्ली	583.20	14.118	74.977	संपूर्ण क्षेत्र
31	सागरा	हुलाकोडू	370.58	14.127	74.952	संपूर्ण क्षेत्र
32	सागरा	केसवीनमाने	26.05	14.128	74.956	संपूर्ण क्षेत्र
33	सागरा	मरादावल्ली	394.77	14.141	74.942	संपूर्ण क्षेत्र
34	सागरा	नितलिहालिथोता	630.19	14.138	74.917	संपूर्ण क्षेत्र
35	सागरा	बालेगारू	55.85	14.206	74.929	संपूर्ण क्षेत्र
36	सागरा	बेल्लानी	525.09	14.183	74.908	संपूर्ण क्षेत्र
37	सागरा	होन्नेमाराडू	398.46	14.178	74.877	संपूर्ण क्षेत्र
38	सागर	होरावल्ली	37.18	14.179	74.859	संपूर्ण क्षेत्र
39	सागरा	इदुवानी	213.55	14.194	74.841	संपूर्ण क्षेत्र
40	सागर	कंतोता	30.00	14.219	74.842	संपूर्ण क्षेत्र
41	सागरा	करूर	94.94	14.032	74.677	संपूर्ण क्षेत्र
42	सागरा	ब्रह्मामना केप्पीजे	355.63	14.016	74.871	संपूर्ण क्षेत्र
43	सागरा	होसाहल्ली	370.00	14.173	74.917	संपूर्ण क्षेत्र
44	सागरा	अवादी	1397.22	14.043	74.881	संपूर्ण क्षेत्र
45	सागरा	कलासावल्ली	521.34	14.066	74.880	संपूर्ण क्षेत्र
46	सागरा	वल्लागिरि	2266.44	14.419	74.8497	संपूर्ण क्षेत्र
47	सागरा	कल्लूर	1757.01	14.063	74.812	संपूर्ण क्षेत्र
48	सागरा	हारोगोप्पा	59.16	14.157	75.094	संपूर्ण क्षेत्र
49	सागरा	चन्नागोंडा	4151.87	14.727	74.732	संपूर्ण क्षेत्र
50	सागरा	कोदानावल्ली	2448.55	14.066	74.880	संपूर्ण क्षेत्र
51	होन्नावरा	हदागेरी	40.00	14.1952	74.698	संपूर्ण क्षेत्र
52	होन्नावरा	कंदोदी	120.00	14.184	74.63	संपूर्ण क्षेत्र
53	बतकल	कोप्पा	712.00	14.113	74.619	संपूर्ण क्षेत्र

क्र .सं.	तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल हे में .	दशमलव डिग्री में अक्षांश	दशमलव डिग्री में देशांतर	अभ्युक्ति
54	सागरा	अग्गा	70.00	14.732	74.625	संपूर्ण क्षेत्र
55	होन्नावरा	हसारावल्ली	95.00	14.0616	74.647	संपूर्ण क्षेत्र
56	बतकल	कोदालामक्की	60.00	14.053	74.621	संपूर्ण क्षेत्र
57	बतकल	हलवानी	20.00	14.032	74.635	संपूर्ण क्षेत्र
59	बतकल	कुलावादी	147.80	14.050	74.655	संपूर्ण क्षेत्र
60	बतकल	वोनीबगील्	66.00	14.028	74.641	संपूर्ण क्षेत्र
61	बतकल	करूनदूर	38.00	14.019	74.654	संपूर्ण क्षेत्र
62	सागरा	मलाली	109.89	14.148	74.908	संपूर्ण क्षेत्र
63	सागरा	करुवारी	58.28	14.058	75.013	संपूर्ण क्षेत्र
64	सागरा	किरुवासे	1504.88	14.026	74.905	संपूर्ण क्षेत्र
65	सागरा	किप्पाडी	474.76	14.046	74.957	संपूर्ण क्षेत्र
66	सागरा	मुप्पानी	336.88	14.123	74.777	संपूर्ण क्षेत्र
67	सागरा	नदाकप्पीजे	269.91	14.021	74.882	संपूर्ण क्षेत्र
68	सागरा	कनूरु	118.19	14.114	75.25	संपूर्ण क्षेत्र
69	सागरा	कगरासु	1003.95	14.058	74.916	संपूर्ण क्षेत्र
71	सागरा	देवासा	838.81	14.928	74.928	संपूर्ण क्षेत्र
72	सागरा	चिमाले	868.32	14.039	74.771	संपूर्ण क्षेत्र
73	सागरा	बरहामना बेदूर	257.75	14.109	75.001	संपूर्ण क्षेत्र
74	सागरा	बरहामना मदावु	300.00	14.101	74.905	संपूर्ण क्षेत्र
75	सागरा	बलीजे	274.60	14.360	74.793	संपूर्ण क्षेत्र
76	सागरा	बी कोप्पारीजे	359.93	14.188	74.871	संपूर्ण क्षेत्र
77	सागरा	अवीनाहल्ली	1182.64	14.081	75.005	संपूर्ण क्षेत्र
78	सागरा	नदामादावु	120.00	14.09	74.903	संपूर्ण क्षेत्र
79	सागरा	नदामाल्ला	115.13	14.112	74.934	संपूर्ण क्षेत्र
80	सागरा	हेदतरी	358.51	14.08	74.94	संपूर्ण क्षेत्र
		कुल	42139			

उपाबंध III

शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के मुख्य बिन्दुओ के अक्षांश और देशान्तर सहित मानचित्र



उपाबंध-IIIक

शेरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थान

सं.	जिला	तालुका	गांवों के नाम	दशमलव डिग्री में अक्षांश	दशमलव डिग्री में देशांतर
उत्तर					
1	नार्थ कनारा	होन्नावरा	कन्दोदी	14.19281	74.65081
2	नार्थ कनारा	होन्नावरा	हदीगिरि	14.2025	74.69498
3	शिमोगा	सागर	एनतलाकलाले	14.1618	74.77266
4	शिमोगा	सागर	इन्टूवानी	14.22443	74.82711
5	शिमोगा	सागर	कन्टोटा	14.21475	75.34193
6	शिमोगा	सागर	हरावल्ली	14.21098	74.85244
7	शिमोगा	सागर	होनीमारडू	14.19327	74.86505
8	शिमोगा	सागर	बेल्लिने	14.19281	74.91733

पूर्व					
8	शिमोगा	सागर	बेल्लिने	14.19078	74.91733
9	शिमोगा	सागर	बेल्लिगिरि	14.19078	74.91733
10	शिमोगा	सागर	निटलहोलीटोटा	14.16459	74.90805
11	शिमोगा	सागर	मदारावल्ली	14.15788	74.9188
12	शिमोगा	सागर	केशुवीनमाने	14.15316	74.93116
13	शिमोगा	सागर	वेंकटवल्ली	14.14341	74.95192
14	शिमोगा	सागर	नदावादहल्ली	14.13713	74.9647
15	शिमोगा	सागर	हुनलमादिके	14.12233	74.98692
16	शिमोगा	सागर	मट्टीकोप्पा	14.08371	74.98914
17	शिमोगा	सागर	बेसुर	14.19078	74.91733
दक्षिण					
17	शिमोगा	सागर	बेसुर	14.06917	74.99048
18	शिमोगा	सागर	अम्बारागोडलू	14.02299	74.00133
19	शिमोगा	सागर	करूर	14.02299	74.00133
20	शिमोगा	सागर	अराहल्ली	14.02299	74.95958
21	शिमोगा	सागर	बीगेकेप्पी.	13.98292	74.88484
22	शिमोगा	सागर	कल्लूर	14.02674	74.83711
23	शिमोगा	सागर	चन्नागोंडा	14.05166	74.83619
24	शिमोगा	सागर	कट्टीनकारु	14.0432	74.81002
25	शिमोगा	सागर	कोदानावल्ली	14.02035	74.79771
26	शिमोगा	सागर	करानी	14.06917	74.99048
पश्चिम					
26	शिमोगा	सागर	करानी	13.98617	74.75232
27	नार्थ कनारा	बतकल	कोलावादी	13.90952	74.7768
28	नार्थ कनारा	बतकल	वोनीबगीलू	13.93972	74.76471
29	नार्थ कनारा	बतकल	होलूयानी	13.93972	74.76471
30	नार्थ कनारा	बतकल	कोदालमक्की	13.99963	74.65153
31	नार्थ कनारा	बतकल	हसारावल्ली	14.03019	74.66839
32	नार्थ कनारा	बतकल	कोप्पा	14.03805	74.64866
1	नार्थ कनारा	होन्नावरा	कन्दोदी	14.05061	74.64467

उपाबंध IV**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3551(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sharavati Valley Wildlife Sanctuary situated in Shimoga district of Karnataka State Lies between latitudes 13° 54' to 14° 12' North and longitudes 74° 38' to 75° 00' East and notified vide Government order Nos. AFD70/FWL71/ Dated 20.04.1972 and AFD/12/FWL/74 Dated 27.06.1974 is spread over an area of 431.23 sq km. The nearest Railway Station is Thalaguppa which is 15 Kms from the Sanctuary.

AND WHEREAS, Sharavati Valley Wildlife sanctuary is spread over parts of Sagara taluk of Shimoga District and the area is covered by moist deciduous, semi evergreen, Shola forests and evergreen forests of Sahyadri hills of 'Western Ghats, which is a magnificent piece of beautiful and valuable forest track. In spite of severe biotic pressure, parts of the sanctuary have been able to retain its pristine, dense and diverse vegetation. It is, therefore, absolutely essential to ensure that the existing resources are not only effectively conserved but appropriate steps are also initiated to further improve the resources.

AND WHEREAS, the sanctuary is immensely rich in flora and fauna both in variety and diversity. These forests consist of valuable tree species including Teak, Sandal, Rosewood, Honne, Nandi etc. and harbour Wildlife like Bison, Spotted deer, Sambar, Tiger and Panther. The area is very rich in reptiles and avifauna population. The hilly area forms the catchment basin for Sharavati River. The area serves as an abode for many vertebrates and invertebrates. The sanctuary has innumerable herbs, shrubs, ferns and grasses.

AND WHEREAS, the roads existing inside the sanctuary are village roads and are being used for patrolling. Majority of the existing roads connect one settlement to the other. The existing roads inside the sanctuary are being used by the general public as well as by the department.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 10 km all around the boundary of Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Sharavathi Wildlife Sanctuary 'Eco sensitive zone' lies between North Latitudes 13⁰ 53' 40" to E 74⁰ 46' 21.581" and the East Longitude 74⁰ 34' 50" to 75⁰ 00' 15" and spread over an area of 189.60 Sq Kms with an extent upto 10 kms all around the boundary of Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) List of 80 villages falling within the Eco-sensitive Zone of the sanctuary along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and key points are appended as **Annexure-III**.

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-III A**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) Karnataka State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within a period of six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10	Fishing	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies.
Regulated Activities		
11.	Use of Plastic carry bags	Regulated under applicable laws.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan
13	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area:

		<p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>Provided that beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</p> <p>(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	<p>(i) Promote underground cabling.</p> <p>(ii) Electric polls can be erected within the Eco-sensitive Zone as per the prescriptions under the Zonal Master Plan or with the recommendation of monitoring committee.</p>
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.

Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka , which shall comprise of the following namely:-

- (i) Regional Commissioner, Mysore -Chairman
- (ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Hosanagar* Constituency, Shimoga District – Member
- (iii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Thirthahalli* Constituency, Shimoga District – Member
- (iv) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Sagar Constituency* Shimoga District – Member
- (v) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;
- (vi) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;
- (vii) A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year -Member;
- (viii) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Shimoga -Member;
- (ix) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year - Member;
- (x) Deputy Commissioner or his representative, Shimoga, -Member
- (xi) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Shimoga- Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal .

[F. No. 25/138/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**Boundary Description of Eco-Sensitive Zone of Sharavathi valley wild life Sanctuary**

- North :** Starting from North West corner of Koppa village in North Canara district, the line runs in the Eastern direction along the Northern boundary of Koppa village to meet the Kandhodi village boundary. Then line runs along the Western and Northern boundary of Kandodi village and meets the Hadigere village limit. Again the line runs along the Northern boundary of Hadigere and Western boundary of N.Talalkale and meets the Sharavathi river. Then line runs along the Northern and Eastern boundary of N.Talalkale village and meets the Northern boundary of Attigodu State forest. Then the line runs in the Northern and Eastern direction of the Northern boundary of Attigodu State forest to meet the Southern side of Talalkalale Reservoir submersion boundary. Then the line runs along the submersion and meets the Bidarur road. Then the line runs along the Bidarur and Kargal road and meets the Lingamakki reservoir dam. Then the line runs in the along the Sharavathi river and Eastern boundary of Iduvani and Kantota village and meets the North West corner of Kantota village. Then the line runs along the Northern boundary of Kantota, Haravalli, Honneamardu and meets the Bellene village boundary. Then the line runs along the Western and Northern boundary of Bellelne village and meets North East corner of Bellelne village.
- East :** The line runs Eastern boundary of Bellelne village and meets the Northern boundary of Bellegere. Then the line runs along the Northern boundary of Bellegere, Nitle Haletota, Madaravalli, Kesuvnamane, Hulkod, Benkatavalli village and meets the Eastern corner of Benkatavalli village. Again the line runs along the Eastern side of Benkatavalli, Nadavadahalli to meets the Sharavathi submersion boundary. The line runs in the Southern direction along the submersion and meets the Chikmathur village boundary. Then line runs along the Chikmathur village, Hunal Madike village Northern and Eastern boundary and Mattikoppa and Besur village Eastern boundary to meet South East corner of Besur village.
- South :** Then the line runs through Southern boundary of Besur and Ambaragodlu village and meets Old Batkal road. Then the line runs in the Southern direction and meets the and meets the submersion boundary. Again the line runs in South West direction through Sharavathi submersion area and meets the Kerivase village submersion boundary. Then the line runs along the submersion and meets the Eastern boundary of Karur village. Then the line runs along the Eastern and Southern boundary of Karur and B.Keppige and meets South West corner of B.Keppige village. Then the line runs in the Western direction of B.Keppige and Arahalli village and meets the North West corner of Arahalli village. Then the line runs along the Tumri and Valagere road and meets the Southern boundary of Valagere village. Then the line runs along the Southern boundary of Valagere, Kallur and Channagonda village and meets the Kattinaku village boundary. Then the line runs in the Eastern direction along the Kattinaku village to meet the Northern boundary of Kodanavalli village. Then the line runs along the Northern and Eastern boundary of Kodanavalli and meets the South Canara district boundary. Again the line runs in the Western direction along the South Canara district boundary and meets South West corner of Karani village.
- West:** Then the line runs in the North-West direction along the common boundary of South Canara and Shimoga district to meet the Kulavadi village (North Canara district) boundary. Then the line runs along the Southern boundary of Kolavadi, Vonibagilu and meets the South West corner of Vonibagilu. Then the line runs in the Northern direction along the Western boundary of Vonibagilu, Holuyani, Kodalmakki, Hasaravalli, Agga village to meet the Eastern boundary of Koppa village. Then the line runs along the East, South and Western boundary of Koppa village to meet the starting point.


ANNEXURE-II**LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF SHARAVATHI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY WITH GPS READINGS**

Sl. No.	Taluk	Village	Area in Ha	Latitude in Decimal degrees	Longitude in Decimal degrees	Remarks
1	SAGARA	HEBBILU	202.00	14.175	74.859	Full area
2	SAGARA	LINGANAMAKKI	343.00	14.178	74.178	Full area
3	SAGARA	KARUMANE	614.68	14.164	74.831	Full area
4	SAGARA	BIDARUR	358.52	14.168	74.809	Full area
5	SAGARA	ARALAGODU	401.30	14.143	74.828	Full area
6	SAGARA	BANUMANE	626.11	14.147	74.85	Full area
7	SAGARA	NADAVADA ILAKALALE	503.31	14.184	74.785	Full area
8	SAGARA	N.TALAKALALE	98.00	14.169	74.751	Full area
9	SAGARA	MANDAVALLI	803.79	14.143	74.811	Full area
10	SAGARA	BRAMHANAVADA ILAKALALE	351.33	14.163	74.784	Full area
11	SAGARA	KERAVADI	150.00	14.077	74.945	Full area
12	SAGARA	AMBARAGODLU	413.16	14.069	74.945	Full area
13	SAGARA	HIREBASKARA	200.00	14.078	74.91	Full area
14	SAGARA	SULAGALALE	909.28	14.119	74.894	Full area
15	SAGARA	HANAGERE	200.00	14.123	74.859	Full area
16	SAGARA	NAGAVALLI	410.00	14.097	74.064	Full area
17	SAGARA	HAVASHI	120.00	14.087	74.928	Full area
18	SAGARA	GUDIHITHALU	150.10	14.055	74.716	Full area
19	SAGARA	NELAHARI	232.48	14.093	74.706	Full area
20	SAGARA	BHANUKULI	482.30	14.091	74.748	Full area
21	SAGARA	KANAPAGARU	1279.40	14.123	74.739	Full area
22	SAGARA	KATTINAKARU	3226.98	13.971	74.713	Full area
23	SAGARA	URALAGALLU	264.16	14.145	74.659	Full area
24	SAGARA	KARANI	1300.00	13.931	74.735	Full area
25	SAGARA	HUNALAMADIKE	57.42	14.088	74.985	Full area
26	SAGARA	CHIKKAMATTUR	1007.12	14.091	74.963	Full area
27	SAGARA	MATHIKOPPA	260.82	14.069	74.976	Full area
28	SAGARA	BESUR	488.26	14.042	74.978	Full area
29	SAGARA	NADAVADDALLI	544.17	14.11	74.967	Full area
30	SAGARA	BENKATAVALLI	583.20	14.118	74.977	Full area
31	SAGARA	HULAKODU	370.58	14.127	74.952	Full area
32	SAGARA	KESAVINAMANE	26.05	14.128	74.956	Full area
33	SAGARA	MARADAVALLI	394.77	14.141	74.942	Full area
34	SAGARA	NITLIHALETHOTA	630.19	14.138	74.917	Full area
35	SAGARA	BALEGARU	55.85	14.206	74.929	Full area
36	SAGARA	BELLANNE	525.09	14.183	74.908	Full area
37	SAGARA	HONNEMARADU	398.46	14.178	74.877	Full area
38	SAGARA	HORAVALLI	37.18	14.179	74.859	Full area
39	SAGARA	IDUVANI	213.55	14.194	74.841	Full area
40	SAGARA	KANTOTA	30.00	14.219	74.842	Full area
41	SAGARA	KARUR	94.94	14.032	74.677	Full area
42	SAGARA	BRAHMANA KEPPIGE	355.63	14.016	74.871	Full area
43	SAGARA	HOSAHALLI	370.00	14.173	74.917	Full area
44	SAGARA	AVADI	1397.22	14.043	74.881	Full area
45	SAGARA	KALASAVALLI	521.34	14.066	74.880	Full area
46	SAGARA	VALAGERE	2266.44	14.419	74.8497	Full area

Sl. No.	Taluk	Village	Area in Ha	Latitude in Decimal degrees	Longitude in Decimal degrees	Remarks
47	SAGARA	KALLUR	1757.01	14.063	74.812	Full area
48	SAGARA	HAROGOPPA	59.16	14.157	75.094	Full area
49	SAGARA	CHANNAGONDA	4151.87	14.727	74.732	Full area
50	SAGARA	KODANAVALLI	2448.55	14.066	74.880	Full area
51	HONNAVARA	HADAGERI	40.00	14.1952	74.698	Full area
52	HONNAVARA	KANDODI	120.00	14.184	74.63	Full area
53	BATKAL	KOPPA	712.00	14.113	74.619	Full area
54	SAGARA	AGGA	70.00	14.732	74.625	Full area
55	HONNAVARA	HASARAVALLI	95.00	14.0616	74.647	Full area
56	BATKAL	KODALAMAKKI	60.00	14.053	74.621	Full area
57	BATKAL	HALVANI	20.00	14.032	74.635	Full area
59	BATKAL	KULAVADI	147.80	14.050	74.655	Full area
60	BATKAL	VONIBAGILU	66.00	14.028	74.641	Full area
61	BATKAL	KURANDUR	38.00	14.019	74.654	Full area
62	SAGARA	MALALI	109.89	14.148	74.908	Full area
63	SAGARA	KURUVA RI	58.28	14.058	75.013	Full area
64	SAGARA	KIRUVASE	1504.88	14.026	74.905	Full area
65	SAGARA	KIPPADI	474.76	14.046	74.957	Full area
66	SAGARA	MUPPANI	336.88	14.123	74.777	Full area
67	SAGARA	NADAKEPPIGE	269.91	14.021	74.882	Full area
68	SAGARA	KANURU	118.19	14.114	75.25	Full area
69	SAGARA	KAGARASU	1003.95	14.058	74.916	Full area
71	SAGARA	DEVASA	838.81	14.928	74.928	Full area
72	SAGARA	CHIMALE	868.32	14.039	74.771	Full area
73	SAGARA	BRAHMANA BEDUR	257.75	14.109	75.001	Full area
74	SAGARA	BRAHAMANA MADAVU	300.00	14.101	74.905	Full area
75	SAGARA	BALIGE	274.60	14.360	74.793	Full area
76	SAGARA	B KOPPARIGE	359.93	14.188	74.871	Full area
77	SAGARA	AVINAHALLI	1182.64	14.081	75.005	Full area
78	SAGARA	NADAMADAVU	120.00	14.09	74.903	Full area
79	SAGARA	NADAMALLA	115.13	14.112	74.934	Full area
80	SAGARA	HEDATRI	358.51	14.08	74.94	Full area
		TOTAL	42139			

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHARAVATHI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES ALONG WITH KEY LOCATIONS



ANNEXURE-III A

KEY LOCATIONS ON THE SHARAVATHI VALLEY WILDLIFE SANCTUARY

Ref.	District	Taluk	Name of the village	Latitude in Decimal degrees	Longitude in Decimal degree
North					
1	North Canara	Honnavaara	Kandodi	14.19281	74.65081
2	North Canara	Honnavaara	Hadageri	14.2025	74.69498
3	Shimoga	Sagar	N.Talakalale	14.1618	74.77266
4	Shimoga	Sagar	Iduvani	14.22443	74.82711
5	Shimoga	Sagar	Kantota	14.21475	75.34193
6	Shimoga	Sagar	Horavalli	14.21098	74.85244
7	Shimoga	Sagar	Honnemaradu	14.19327	74.86505
8	Shimoga	Sagar	Bellanne	14.19281	74.91733
EAST					
8	Shimoga	Sagar	Bellanne	14.19078	74.91733
9	Shimoga	Sagar	Balegaru	14.19078	74.91733
10	Shimoga	Sagar	Nithehaletota	14.16459	74.90805
11	Shimoga	Sagar	Maradavalli	14.15788	74.9188
12	Shimoga	Sagar	Kesavinamane	14.15316	74.93116

13	Shimoga	Sagar	Benkatavalli	14.14341	74.95192
14	Shimoga	Sagar	Nadavadhalli	14.13713	74.9647
15	Shimoga	Sagar	Hunal madike	14.12233	74.98692
16	Shimoga	Sagar	Matikoppa	14.08371	74.98914
17	Shimoga	Sagar	Besur	14.19078	74.91733
SOUTH					
17	Shimoga	Sagar	Besur	14.06917	74.99048
18	Shimoga	Sagar	Ambargodlu	14.02299	74.00133
19	Shimoga	Sagar	Karur	14.02299	74.00133
20	Shimoga	Sagar	Arehalli	14.02299	74.95958
21	Shimoga	Sagar	Harogoppa	13.98292	74.88484
22	Shimoga	Sagar	Kallur	14.02674	74.83711
23	Shimoga	Sagar	Chennagonda	14.05166	74.83619
24	Shimoga	Sagar	Kattinakaru	14.0432	74.81002
25	Shimoga	Sagar	Kodanahalli	14.02035	74.79771
26	Shimoga	Sagar	Karani	14.06917	74.99048
WEST					
26	Shimoga	Sagar	Karani	13.98617	74.75232
27	North Canara	Batkal	Kulavadi	13.90952	74.7768
28	North Canara	Batkal	Vonibaily	13.93972	74.76471
29	North Canara	Batkal	Halvani	13.93972	74.76471
30	North Canara	Batkal	Kodalamakki	13.99963	74.65153
31	North Canara	Batkal	Hasaravalli	14.03019	74.66839
32	North Canara	Batkal	Koppa	14.03805	74.64866
1	North Canara	Honnavara	Kandodi	14.05061	74.64467

Annexure IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.